

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

058-चाकसू (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री रामावतार बैरवा (नाम)

श्यामपुरा वाली ढाणी, वार्ड नं. 17, हाल (नया) वार्ड सं. 27 मकान नं. 57

गरूडवासी रोड चाकसू जिला जयपुर (पता)

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन -क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- कॉमर्स कॉलेज, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

दिनांक :- 03.12.2023

रिटर्निंग अधिकारी
(गुलाब सिंह वर्मा)

रिटर्निंग अधिकारी (058)

विधानसभा क्षेत्र 058-चाकसू

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** from **58-Chaksu (SC)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

RAMAVTAR BAIRWA

shyampura wali dhani ward no. 17 hal (new) ward no. 27 house no. 57 garudwasi road chaksu dist. jaipur [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 03-12-2023


(GULAB SINGH VERMA)

Returning Officer
058-Chaksu(SC)
Legislative Assembly Constituency